ग्राम विकास योजना मालनी भाग–05

स्थान–वन परिक्षेत्र सोहागपुर (सामान्य) कक्ष क्रमांक:–पी.एफ 188

परिचय :–

(2018–2019)

वनग्राम मालनी मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य के परिक्षेत्र चूरना के आरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित ग्राम है। इस ग्राम के विस्थापन एवं पुनर्वास का निर्णय वर्ष 2016–17 में ग्रामीणों (भाग 5) की आम सहमति से किया गया। वनग्राम मालनी में 06 भाग है। जिसमें से पहले भाग द्वारा वन परिक्षेत्र सामान्य सोहागपुर के कक्ष क्रमांक पी.एफ.–187, में दूसरा भाग द्वारा वन परिक्षेत्र सुखतवा के कक्ष क्रमाक 154, मे तीसरे भाग द्वारा वन परिक्षेत्र सामान्य सोहागपुर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. –233, चौथे भाग द्वारा वन परिक्षेत्र इटारसी कक्ष क्रमांक 177, मे पाचवे भाग द्वारा वन परिक्षेत्र सामान्य सोहागपुर के कक्ष क्रमांक पी.एफ.–188 में छटवे भाग द्वारा वन परिक्षेत्र सुखतवा के कक्ष क्रमाक 187 मे निवास हेतू सहमति दी गई है।

श्रीमान कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के आदेश क्रमांक 7019 दिनांक 26.05. 2017 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी की अध्यक्षता में पात्रता समिति गठित की गई, गठित समिति द्वारा दिनांक 29.05.2017 को 272 व्यक्तियों की प्रथम सूची अनुमोदित की गई जिसमें से 245 हितग्राहियों को पात्र पाया गया, 25 हितग्राही अपात्र तथा 02 हितग्राहीयो मेडिकल परीक्षण कर आयु सत्यापन के लिये नामित किये गये। पात्रता की द्वितीय सूची 09.06.2018 को 103 व्यक्तियों की अनुमोदित की गई जिसमें से 85 हितग्राहियों को पात्र पाया गया, 18 हितग्राही अपात्र नामित किये गये। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा ग्रामीणों के पात्रता निर्धारण हेतु समिति गठन दिनांक 26.05.2017 से मानकर की गई है। उक्त पात्र 103 हितग्राहियों की द्वितीय सूची में से 18 हितग्राहियों को वन परिक्षेत्र साहोगपुर के कक्ष क्रमांक –188 में बसाया जा रहा है।

मालनी भाग–05 के कुल 18 हितग्राहियों में से 07 हितग्राहियों द्वारा विकल्प–1 (नगद) के तंहत तथा 11 हितग्राहियों द्वारा विकल्प–2 (जमीन) के तहंत स्वीकृति दी गई। विकल्प–2 के इन 11 हितग्राहियों को इनकी सहमति के अनुसार वन परिक्षेत्र सोहागपुर सामान्य के कक्ष क्रमांक पी.एफ.–188 में बसाया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा वनग्राम मालनी के विस्थापन/पुनर्वास हेतु उपलब्ध कराये गये बजट में से वनग्राम मालनी भाग–05 के 18 परिवारों के लिये 01.80 करोड़ बजट का प्रावधान है ।

विकल्प – I (Option-I)

विकल्प – I A (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पुर्नवास से संबंधित मार्गदर्शिका दिनांक 26.05.2011 के अनुसार) हेतु 07 परिवारों द्वारा सहमति दी गयी है। अतः राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग को किसी प्रकार की पुनर्वास/पुनः स्थापना प्रक्रिया में शामिल न करते हुये प्रति परिवार की पूरे पैकेज की राशि (रूपये 10 लाख प्रति परिवार) का भुगतान किया जावेगा। इस राशि में उनकी निजी अंचल सम्पत्ति की कीमत भी सम्मिलित रहेगी, राशि लेकर स्वयं की व्यवस्था से अन्यत्र बसने को तैयार है। इस विकल्प में हितग्राही अपनी स्वेच्छा से सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के बाहर कहीं भी बस सकेगें। इस हेतु सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा रूपये 0.70 करोड़ की राशि जिला कलेक्टर, होशंगाबाद के खाते में जमा की जा रही है। इस राशि से प्रत्येक हितग्राही के नाम से दो खाते राष्ट्रीय कृत बैंक में खोले गए है, पहला खाता पति/पत्नी के नाम से संयुक्त बचत खाता है, जिसमें रूपये 2.00 लाख प्रति परिवार जमा किये जाने है। दूसरा खाता जिला कलेक्टर एवं हितग्राही के नाम से संयुक्त बचत खाता C.L.T.D. खाता होगा जिसमें प्रति परिवार रूपये 8.00 लाख जमा किये जावेंगे। C.L.T.D. खाते की ब्याज की राशि हितग्राही के संयुक्त खाते में प्रतिमाह हस्तांतरित होगी। हितग्राही द्वारा अचल संपत्ति/कृषि भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने पर उपखण्ड स्तर की समिति की सहमति के आधार पर इस का सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा एवं व्यक्ति कहीं भी कृषि भूमि/आवासीय मकान खरीदते है या स्वयं बनाते है, तो कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर C.L.T.D. खाते से राशि के आहरण की अनुमति कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा संबंधित हितग्राही को दी जावेगी एवं भुगतान संबंधित विक्रेता को डिमाण्ड ड्राफ्ट या एकाउन्ट–पे धनादेश द्वारा किया जायेगा।

ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पुनर्वास से संबंधित मार्गदर्शिका दिनांक 26.05.2011 के विकल्प एक ''अ'' (Option -IA) के अनुसार 18 व्यक्तियों को विस्थापन किये जाने का प्रावधान है।

विकल्प दो (Option -II)

इस विकल्प में 11 परिवार हेतु 1.1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकल्प दो के अन्तर्गत ग्राम का पुनर्वास वर्ष 2018–2019 से अधिकतम दो वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक है। इस पुनर्वास हेतु ग्राम मालनी भाग–05 की विकास योजना तैयार की गई है।

ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विकल्प दो (Option -II) के अनुसार 11 व्यक्तियों को 2–2 हेक्टेयर भूमि प्रदाय कर ग्राम की स्थापना का प्रावधान है। सभी हितग्राहियों के सहमत होने पर इस विकास योजना का उदभव हुआ है।

ग्राम मालनी भाग–05 का विस्थापन एवं पुनर्वास निम्न तथ्यों को पूर्ण करते हुए किया जा रहा है :–

1. वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 जिसमें आदिवासियों को काबिज भूमि का हक दिया जाने के प्रावधानों का पालन किया गया है तथा वन अधिकारों के लिए प्रदत्त अधिकार पत्रों को विस्थापन हेतु आधार में लिया गया है तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों से एवं मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2010 से ग्रामीणों को अवगत कराया गया तथा 10 लाख प्रति वयस्क (18 वर्ष की आयु) पैकेज के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया है।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज मध्यप्रदेश की पुनर्वास नीति से अधिक सुविधा विस्थापित परिवारों को उपलब्ध कराता है अतएवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज को गामीणों द्वारा स्वीकार किया गया है एवं उसके अनुबंधों का पालन किए जाने हेतु ग्राम विकास योजना बनाई गई है।
3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज तथा विकल्प दो (Option -II) के अनुसार प्रति परिवार के लिये आवास निर्माण हेतु 2.00 लाख रूपये तथा पुनर्वास हेतु अनुदान 0.50 लाख रूपये हितग्राहियों के पति/पत्नि के संयुक्त खाते में जमा करने का प्रावधान है जिसके अनुसार हितग्राहियों के खाते पंजाब नेशनल बैंक सोहागपुर में खोले जाकर राशि जमा करने का प्रावधान रखा गया है।

आवास निर्माण एवं पुनर्वास अनुदान की राशि विस्थापित परिवार अपनी इच्छानुसार आवास निर्माण पर व्यय कर सकता है। परन्तु यह राशि आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर ही दी जाना है, विकल्प दो के अनुसार 11 परिवारों के लिये विस्थापित परिवार के खाते में प्रगति अनुसार जमा की जावेगी। इस प्रकार भवन निर्माण एवं अनुदान के लिये रूपये 27.5 लाख़ रुपये परिवारों के संयुक्त खाते में जमा की जाना प्रस्तावित है। उक्त राशि ग्राम विकास योजना में सम्मिलित की गई है।

विकल्प दो के तहत 11 परिवारों द्वारा वन परिक्षेत्र साहोगपुर के कक्ष क्रमांक –पी.एफ.–188 में विस्थापन हेतु अपनी सहमति दी गई है। यह ग्राम विकास योजना 11 परिवार की गणना के आधार पर तैयार की गई इस प्रकार 11 परिवारों के पूर्ण विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु 1.10 करोड़ रूपयों की आवश्यकता होगी जिसमें से 27.5 लाख़ रूपये हितग्राहियों के खाते में पुनर्वास अनुदान एवं आवास निर्माण राशि के रूप में जमा होगी तथा अवशेष 82.50 लाख रूपये ग्रामीणों के आवासीय स्थल, कृषि भूमि विकास कार्य तथा अन्य सामूदायिक एवं विकास कार्यों पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार उपयोग की जावेगी। इस राशि से विकास योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

1.विद्युतिकरण :–

नए विस्थापित होने वाले ग्राम मालनी भाग–05 में नवनिर्मित घरों में विद्युतिकरण, खेतों में ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन बिछाने हेतु तथा घरों एवं खेतों में विद्युत कनेक्शन हेतु कुल 10 लाख़ रूपये का प्रावधान ग्राम विकास योजना में रखा गया है। म0 प्र0 क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी का प्राक्कलन बनाया जावेगा।

2. पेयजल :–

ग्राम मालनी भाग – 01 के 10 परिवारों को पेयजल प्रदाय करने हेतु 02 हेण्डपम्प खोदे जाने हेतु पी.एच.ई के एस्टीमेंट अनुसार 120000/– प्रति हैण्डपम्प की दर से राशि का प्रावधान रखा गया है। इस पर 2.40 लाख का व्यय प्रस्तावित है। यह कार्य समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन के क्रय एवं भुगतान नियमो के अनुसार किया जावेगा।

3. कृषि भूमि का विकास :–

ग्राम के 11 परिवारों के लिये 23 हेक्टयर भूमि का समतलीकरण, ठूँठ उखाड़ने, जुताई एवं मेढ़बन्दी का कार्य किया जावेगा इसमें से 2 हेक्टेयर प्रति परिवार के मान से 22 हैक्टेयर कृषि भूमि (आवासीय प्लाटों सहित) ग्रामीणों को प्रदाय की जावेगी, इस प्रकार आवास एवं कृषि प्रयोजन हेतु 22 हैक्टेयर तथा सामुदायिक सुविधा (स्कूल, आंगनबाड़ी, खेल मैदान, सड़क) हेतु 1 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 23 हेक्टेयर भूमी पर 100000/– रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 23 लाख रूपये का व्यय होगा जिसका प्रावधान ग्राम विकास योजना में रखा गया है। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कराकर कार्य किया जावेगा।

7. कृषि की वन्य प्राणियों से सुरक्षा

ग्राम कि कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु 2 किमी चैनलिंग फेंसिंग एव किमी बारबेड वायर फेंसिग का प्रस्ताव ग्रामीणों द्वारा किया गया है इस हेतु 8.00 लाख रूपये योजना में सम्मिलित है।

8. रोजगार के वैकल्पिक साधन एवं मानव संसाधन विकास

रोजगार के वैकल्पिक साधनों का विकास प्रशिक्षण आदि पर निम्नानुसार व्यय प्राक्कलित है

क्र0	कार्य का नाम	राशि
1	सौर विद्युतिकरण/सोलर लालटेन	33000
2	दीनबन्धू गौवर गैस/गैस कनेक्शन	55000
3	खाद बीज क्रय	150000
4	कौशल विकास प्रशिक्षण	25000
5	अन्य व्यय (सामग्री रखरखाव तथा सुरक्षा, व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार अस्थाई टप्पर बनाना, गेट बनाना एवं पन्नी क्रय, पानी की टंकी क्रय, प्रारम्भिक स्थिति में शासकीय टेंकर से पानी प्रदाय हेतु डीजल क्रय एवं सीमांकन हेतु मुनारा निर्माण एवं समिति कें प्रस्ताव अनुसार अन्य कार्य करना।	207000
	योग	**470000**

कार्य अनुसार योग विवरण निम्नानुसार है :—

विकल्प — II के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य किये जावेंगें :—

1	पूर्ण विस्थापन एवं पुनर्वास (आवास निर्माण एवं अनुदान, 11 परिवार)	
	1. आवास निर्माण 11 परिवार X 2.00 लाख प्रति परिवार	2200000
	2. अनुदान राशि 11 परिवार X 0.50 लाख प्रति परिवार	550000
2	ग्राम विद्युतीकरण	1000000
3	पेय जल 02 हैंडपंप	240000
4	नई कृषि भूमि एवं सामुदायिक भूमि का विकास समतलीकरण एवं मेढ़ बन्दी एवं अन्य कार्य 23 हेक्टेयर X 1.00 लाख = 2300000/-	2300000
5	सिंचाई व्यवस्था नलकूप खनन 11X1.70 लाख = 18.7 लाख एवं स्प्रिंकलर पाइप क्रय— 2.20 लाख एवं बाड़ों में पाईप लाइन कनेक्शन 1.00 लाख	2190000
6	विस्थापितों की आवासीय सामग्री परिवहन 11 X 0.50 लाख	550000
7	सामुदायिक कार्य	
	1. मंदिर निर्माण	200000
	2. घरों में शौचालय निर्माण 11X15000/—	165000
	3. भूमिजल रिचार्ज हेतु सोख्ता पिट निर्माण	110000
	4. वनग्राम के अन्दर ग्राफ्टेट फलदार पौधों का क्रय एव वृक्षारोपण	25000
	5. खेल मैदान एवं खेल उपकरण झूला, फिसल पट्टी इत्यादि	100000
	6. शवदाह गृह	100000
8	सुरक्षा फेसिंग 02 किमी	800000
9	रोजगार एवं मानव संसाधन हितग्राही मूलक विकास	
	1. सौर विद्युतिकरण/सोलर लालटेन	33000
	2. दीनबन्धू गौवर गैस/गैस कनेक्शन	55000
	3. खाद बीज क्रय	150000
	4. कौशल विकास प्रशिक्षण	25000
	5. अन्य व्यय (सामग्री रखरखाव तथा सुरक्षा, व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार अस्थाई टप्पर बनाना, गेट बनाना एवं पन्नी क्रय, पानी की टंकी क्रय, प्रारम्भिक स्थिति में शासकीय टेंकर से पानी प्रदाय हेतु डीजल क्रय एवं सीमांकन हेतु मुनारा निर्माण एवं समिति के प्रस्ताव अनुसार अन्य कार्य करना)	207000
	योग	**11000000**
10	**विकल्प — I** के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली राशि 07X 10,00,000 = 00.70 करोड़ (नगद दी जावेगी)	**7000000**
	महायोग	**1,80,00,000**

निष्कर्ष

विकल्प – I (Option-I) 07 परिवारो हेतु प्रस्तावित राशि @ 10लाख = 0.70 करोड

विकल्प – II (Option-II) 11 परिवार हेतु प्रस्तावित राशि @ 10लाख = 1.10 करोड

योग 18 परिवार हेतु प्रस्तावित राशि @ 10लाख = 1.80 करोड

स्थानीय आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न बिंदुओं पर होने वाले व्यय का विचलन ग्राम पुनर्वास समिति के प्रस्ताव पर मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। शासन के संकल्प अनुसार यदि प्राक्कलन में कोई राशि अवशेष बचेगी तो वह ग्राम विस्थापन समिति के खाते में रखी जावेगी जो सामाजिक सुरक्षा राशि में समाहित होगी यदि समिति चाहेगी तो प्रस्ताव के आधार पर बची हुई राशि अन्य विकास कार्यों में उपयोग कर सकेगी। वनग्राम मालनी भाग–5 का विस्थापन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन ग्राम सभा मालनी भाग–5 द्वारा किया गया ग्रामसभा में विस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया।

प्राप्त राशि राज्य शासन से प्राप्त राशि है अतएव शासन के निर्देशानुसार राशि शासन के व्यक्तिगत खाते में जमा रहेगी तथा कार्य की प्रगति के अनुसार समिति के खाते में जमा किया जाकर समिति के माध्यम से भुगतान किया जावेगा ।

योजना ग्रामीणों से चर्चा कर निर्मित की गई।

विस्थापन अधिकारी मालनी भाग–05	-sd- जिला समाज कल्याण अधिकारी होशंगाबाद	अध्यक्ष ग्राम पुनर्वास समिति मालनी भाग–05
-sd- सहायक अभियंता म.प्र.विद्युत विभाग, होशंगाबाद	-sd- जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद	-sd- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद
-sd- कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. होशंगाबाद	-sd- कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग, होशंगाबाद	-sd- उपसंचालक कृषि विभाग, होशंगाबाद
उपसंचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग होशंगाबाद	-sd- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, होशंगाबाद

समन्वयित
उप संचालक
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व
होशंगाबाद

अनुमोदित
कलेक्टर
होशंगाबाद

संलग्न :– 1. बैठक का प्रस्ताव
2. पात्रता सूची
3. विकल्प–I एवं विकल्प–II के हितग्राहियों की बैंक खातावार सची